भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1757
(10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार

1757. सुश्री सयानी घोष:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) ग्रामीण महिलाओं के लिए सवेतन रोजगार का एक प्रमुख स्रोत रही है और इस योजना के अंतर्गत सृजित व्यक्ति-दिवसों में महिलाओं की हिस्सेदारी अधिक है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार इस चिंता को स्वीकार करती है कि विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी आरएएम-जी) के अंतर्गत मांग-आधारित गारंटी के स्थान पर सशर्त एवं घटती नौकरी की उपलब्धता से प्रतिस्थापित होने से महिलाएं , विशेषकर हाशिए के समुदायों से , असमान रूप से बाहर हो सकती हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह जांच करने के लिए कोई लैंगिक प्रभाव राष्ट्रीय मूल्यांकन किया गया है कि कम गारंटीकृत कार्य राज्यों के लिए महिला श्रम बल भागीदारी , वेतन समानता और आर्थिक स्वतंत्रता को कैसे प्रभावित कर सकता है, यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस जोखिम का आकलन किया है कि मनरेगा की उपलब्धता कम होने से महिलाएं कम मजदूरी और खराब परिस्थितियों वाले अवैतनिक या अनौपचारिक कार्यों में धकेली जा सकती हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या वीबी-जी आरएएम-जी को लागू करने से पहले मनरेगा कार्यकर्ताओं , महिला समूहों या पश्चिम बंगाल सहित राज्य सरकारों के साथ कोई परामर्श किया गया था , यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): पिछले तीन वित्तीय वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 (06.02.2026 तक) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत महिलाओं की भागीदारी निरंतर 50% से अधिक रही है।

(ख) से (ड.): विकसित भारत-रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण): वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 प्रति ग्रामीण परिवार प्रति वित्तीय वर्ष में 100 दिनों से बढ़ाकर न्यूनतम 125 दिनों के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करके गारंटी ढांचे को मजबूत और विस्तारित करता है, जिससे ग्रामीण आय और आजीविका सुरक्षा में वृद्धि होती है। इसमें एक मजबूत वैधानिक बेरोजगारी भत्ता शामिल है, जो निर्धारित समय के भीतर काम न मिलने पर देय होगा और इसकी दरें अधिसूचित मजदूरी दर से संबद्ध होंगी। इसके अलावा , गारंटीशुदा दिनों को बढ़ाकर और समयबद्ध मजदूरी भुगतान तथा बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित करके , यह अधिनियम सतत घरेलू आय को मजबूत करता है, जो ग्रामीण परिवारों के लिए खाद्य सुरक्षा और उपभोग को सुचारू बनाने में सहायता करता है।

नये अधिनियम के तहत , कार्यों को चार विषयों यथा - जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका अवसंरचना और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं का शमन में प्राथमिकता दी गई है , जिससे टिकाऊ और उत्पादक ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। यह अधिनियम टिकाऊ , उत्पादकता बढ़ाने वाली परिसंपत्तियों को बढ़ावा देकर एक भविष्योन्मुखी ढांचा अपनाता है और विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं तथा अभिसरण के माध्यम से , मजदूरी रोजगार को परिसंपत्ति निर्माण, अवसंरचना की कमी को दूर करने और दीर्घकालिक आजीविका वृद्धि के साथ जोड़ता है। आजीविका से संबंधित अवसंरचना उन उत्पादक संपत्तियों पर ध्यान केंद्रित करती है जो प्रत्यक्ष रूप से आय और रोजगार सृजित करती हैं यथा, ग्रामीण हाट, भंडारण संरचनाएं, वर्क शेड और पशुधन अथवा मत्स्य पालन अवसंरचना, जिनसे कृषि मजबूत होती है , बाजार तक पहुंच बढ़ती है और स्थानीय उद्यमों को बढ़ावा मिलता है।

अतः, रोजगार की उपलब्धता और रोजगार गारंटी को कम करने के बजाय , वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 महिलाओं सहित लाभार्थियों की सभी श्रेणियों के लिए रोजगार गारंटी का विस्तार करता है, कानूनी अधिकारों को मजबूत करता है और ग्रामीण रोजगार को सतत आजीविका सृजन और जलवायु-अनुकूलन विकास के साथ जोड़ता है।

इसके अतिरिक्त, वीबी-जी राम जी अधिनियम , 2025 को लिंग-समावेशी होने के लिए डिज़ाइन किया गया है , जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और महिला-प्रधान परिवारों की सहायता के लिए कई महिला-केंद्रित प्रावधान किए गए हैं। ये प्रावधान इस प्रकार हैं:

1. महिलाओं की न्यूनतम एक-तिहाई भागीदारी अनिवार्य है , जिसमें विशेष जॉब कार्ड के माध्यम से महिला-प्रधान परिवारों और एकल महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है।

2. अधिनियम की अनुसूची । के पैरा 6 के अनुसार, व्यक्तिगत परिसंपत्ति निर्माण में महिला-प्रधान परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
3. अधिनियम आजीविका से संबंधित बुनियादी ढांचे जैसे कि एसएचजी भवन, वर्क शेड, प्रशिक्षण और कौशल केंद्रों, कम्पोस्ट और वर्मी-कम्पोस्ट इकाइयां, नर्सरी, पशुधन आश्रय, मत्स्य पालन अवसंरचना, भंडारण सुविधाओं, ग्रामीण हाट आदि के निर्माण को प्राथमिकता देता है। ये उत्पादक परिसंपत्तियां सीधे तौर पर महिलाओं और एसएचजी को सशक्त बनाती हैं।
4. महिलाओं की उत्पादक भागीदारी को सुविधाजनक बनाने हेतु उनके लिए दरों की एक अलग अनुसूची का प्रावधान किया गया है।
5. उन कार्यस्थलों पर क्रेच की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी जहां पांच वर्ष से कम उम्र के पांच या अधिक बच्चे कामकाजी महिलाओं के साथ आते हैं।
6. महिलाओं को मेट की भूमिका निभाने, कार्यों की निगरानी करने, गुणवत्ता सुनिश्चित करने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
7. सामाजिक अंकेक्षण में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से उनकी भूमिका और मजबूत होती है , जहां महिलाएं यह सुनिश्चित करने में सहायता करती हैं कि कार्य ठीक से किया गया है और भुगतान समय पर पहुंच रहा है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त, अधिनियम के तहत गठित होने वाली केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद और राज्य रोजगार गारंटी परिषदों में महिलाओं का एक-तिहाई प्रतिनिधित्व अनिवार्य है।
9. शिकायत निवारण तंत्र आवेदकों से संबंधित शिकायतों का समाधान करेगा , जिनमें भेदभाव, उत्पीड़न या महिला और कमजोर समूहों सहित श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन शामिल है।